न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट),
न्याय कक्ष संख्या–14, बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 4825 सन 2023

अनिल कुमार ....बनाम .... उ0प्र0 राज्य

मु0अ0सं0–376/2017
धारा–135 विद्युत अधिनियम।
थाना–गुलावठी,
जिला–बुलन्दशहर।

दिनॉक–03.08.2023:

1. आवेदक/अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र भाग सिंह, निवासी ग्राम बराल, इण्डेन गैस एजेन्सी, थाना गुलावठी, जिला बुलन्दशहर की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–376 सन 2017, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना गुलावठी जिला बुलन्दशहर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।

2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 22.06.2017 को समय अदम तहरीर, वादी मुकदमा शैलेन्द्र शर्मा, अवर अभियन्ता व अन्य कर्मचारीगण वसूली व विद्युत चैकिंग हेतु ग्राम बराल इण्डेन गैस एजेन्सी, थाना गुलावठी पहुचे तो अनिल कुमार एल0टी0लाईन पर केबिल डालकर अबैध रूप से विद्युत की चोरी करते पाया गया।

3. आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया कि वह निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उसे झूठा फसाया गया है। उसके खिलाफ कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। उससे उक्त अपराध से सम्बन्धित कोई उपकरण बरामद नहीं हुआ है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. इसके विरूद्ध विद्युत विभाग के विद्वान विशेष अभियोजक (विद्युत विभाग) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. मैंने विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त तथा विद्युत विभाग के विद्वान विशेष अभियोजक (विद्युत विभाग) के तर्को को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध एल0टी0लाईन पर केबिल डालकर अपने परिसर में अवैध रूप से विद्युत चोरी करने का आरोप है। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि उसने कोई विद्युत की चोरी नहीं की है । पक्षों के तर्को को सुनने प्रपत्रों के अवलोकन के उपरान्त अपराध की

Digitally signed by
YADAVENDRA SINGH
Date: 2023.08.03 17:13:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court

प्रकृति, मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत का आधार पर्याप्त है।

7. तद्नुसार **आवेदक/अभि**युक्त अनिल कुमार का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/ अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को 20,000/–रूपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 03.08.2023

(यादवेन्द्र सिंह– I)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)
न्याय कक्ष संख्या–14, बुलन्दशहर।
J.O Code .UP 6123

दीपक गुप्ता, आशुलिपिक